05 हिन्दुस्तान
पटना • रविवार • 16 सितम्बर 2018

रेरा ने बिल्डर को दिए 33 लाख लौटाने के आदेश

पटना। बिहार रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने शुक्रवार को बिल्डर को फ्लैट बुक कराने वाले को पूरी धनराशि साधारण ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। बिल्डर को कुल 33.01 लाख दो माह में तीन किस्तों में देने को कहा गया है। बिल्डर ने करार में तय समयसीमा में फ्लैट नहीं दिया था। पैसा वापस मांगने पर बिल्डर द्वारा इनकार करने पर ग्राहक ने रेरा में शिकायत की थी।

रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और सुबोध कुमार की बेंच ने यह फैसला कुंदन कुमार और ज्योति कुमारी की शिकायत पर दिया। इन्होंने मई 2015 में नैश इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिए गए शिकायत पत्र में कहा था कि 24 अगस्त 2016 को खगौल स्थित एजी एन्क्लेव में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर के संग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद 30.01 लाख रुपये दिए थे। बिल्डर को 20 अप्रैल 2017 को तीन लाख रुपये और दिए। फ्लैट का काम पूरा होने पर जुलाई 2017 में आठ लाख रुपये और देने थे। इधर, फरवरी 2018 में बिल्डर ने 15 दिन में पूरा पैसा न देने की स्थिति में बुकिंग निरस्त करने और दी गई धनराशि जब्त करने की बात कही थी। रेरा द्वारा दिए गए दूसरे फैसले के तत्काल बाद शिकायतकर्ता को बिल्डर की ओर से 11 लाख की पहली किस्त दे दी गई है। बता दें कि रेरा की ओर से 18 अगस्त को पटना की एक हाउसिंग कंपनी के खाते के संचालन पर रोक लगाई गई थी।